रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2018/अग्रहायण 26, 1940
No. 501] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2018/AGRAHAYANA 26, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

फ़ा. सं. 1-110/एसपी (जैविक खतरे)/संशोधन-1/एफ़एसएसएआई/2018.— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बनाने का प्रस्ताव करता है, को उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जेबी राजपत्र की प्रतियाँ जिनमें प्रारूप विनियम प्रकाशित हुए हों आम जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो को मुख्य कार्य पालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली-110002 को या ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in को भेजे जा सकेंगे;

आक्षेप या सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में, इस प्रकार कि विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हुये हों, पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनयम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य)….. संशोधन विनियम, 2018 है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनयम, 2011, के परिशिष्ट 'ख' में,-

(1) दूध और दूध उत्पाद हेतु माइक्रोबायोलॉजी मानक - खाद्य सुरक्षा मानदंड से संबन्धित तालिका 2 ख के नीचे,-

(क) शीर्षक 'स्तर जहां माइक्रोबायोलॉजी मानक लागू होंगे' में मौजूदा शब्दों के बाद, निम्नलिखित वाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा,-

"तालिक-2ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) के सूक्ष्म जैविकीय मानक बैच/लॉट की स्वीकार्यता परिभाषित करते हैं यह मानक उत्पादों के विनिर्माण प्रक्रिया के अंत में और बाजार में उनके शेल्फ लाइफ के दौरान लागू होंगे।";

(ख) शीर्षक "असंतोषजनक परिणाम के मामले में कार्यवाही" वाक्य तालिक-2 ख खाद्य सुरक्षा मानदंडलाट की स्वीकार्यता परिभाशित करती है और बाजार में/में माइक्रोबॉयोलॉजिकल मानक बैंच यह जारी करने के लिए उत्पाद के संबंध् में होगा ा ये उनके अंचल जीवन के दौरान बाजार में उत्पादों के लिए लागू होंगा का लो किया जाएगा;

(ग) शीर्षक "प्रतिदर्शन योजना और दिशानिर्देश-" के अंतर्गत उप- शीर्षक "नियामक के लिए" में "अंतिम निर्णय इस आधार पर होना चाहिए कि माइक्रोबॉयोलॉजिकल मानदंडों के लिए पुनःपरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा।" शब्दों के स्थान पर "अंतिम निर्णय इस आधार पर होना चाहिए कि माइक्रोबॉयोलॉजिकल मानदंडों के लिए तालिक-2ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) के अलावा पुनःपरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा।" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(घ) शीर्षक '**संदर्भ परीक्षण पद्धतियां**' में मौजूदा शब्दों के बाद, निम्नलिखित वाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"एफएसएसएआई के खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के तरीके (माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग) मैनुअल में निर्धारित टेस्ट विधियों को प्रोसेस हाइजीन मानदंड और खाद्य सुरक्षा मानदंड के लिए निर्दिष्ट आईएस / आईएसओ विधियों के साथ भी संदर्भित किया जा सकता है।";

(2) फलों तथा सब्जियों और उनके उत्पादों हेतु सूक्ष्म जैविकीय मानक - खाद्य सुरक्षा मानदंड से संबन्धित तालिका 4 ख के नीचे,

(क) शीर्षक 'चरण जहां सूक्ष्म जैविकीय मानक लागू होंगे' में मौजूदा शब्दों के बाद, निम्नलिखित वाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा,-

"सारणी-4ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) के सूक्ष्म जैविकीय मानक बैच/लॉट की स्वीकार्यता परिभाषित करते हैं यह मानक उत्पादों के विनिर्माण प्रक्रिया के अंत में और बाजार में उनके शेल्फ लाइफ के दौरान लागू होंगे।";

(ख) शीर्षक "असंतोषजनक परिणाम के मामले में कार्यवाही" में से वाक्य "सारणी-4ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) के सूक्ष्म जैविकीय मानक बैच/लॉट की स्वीकार्यता परिभाषित करते हैं यह मानक उत्पादों के विनिर्माण प्रक्रिया के अंत में और बाजार में उनके शेल्फ लाइफ के दौरान लागू होंगे" का लोप किया जाएगा;

(ग) शीर्षक "नमूने की योजना और दिशानिर्देश-" के अंतर्गत उप-शीर्षक "नियामक के लिए" में परंतुक के अंत में निम्नलिखित वाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा,-

"अंतिम निर्णय इस आधार पर होना चाहिए कि माइक्रोबॉयोलॉजिकल मानदंडों के लिए सारणी-4ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) के अलावा पुनःपरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा।";

(घ) शीर्षक '**संदर्भ परीक्षण पद्धतियां**' में मौजूदा शब्दों के बाद, निम्नलिखित वाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"एफएसएसएआई के खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के तरीके (माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग) मैनुअल में निर्धारित टेस्ट विधियों को प्रोसेस हाइजीन मानदंड और खाद्य सुरक्षा मानदंड के लिए निर्दिष्ट आईएस / आईएसओ विधियों के साथ भी संदर्भित किया जा सकता है।";

(3) मांस और मांस उत्पादों हेतु माइक्रोबॉयोलॉजी मानक - खाद्या संरक्षा मानदंड- से संबन्धित तालिका 5 ख के तीसरे स्तंम्भ में "साल्मोनेला" शब्द को "साल्मोनेला $" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(4) मांस और मांस उत्पादों हेतु माइक्रोबॉयोलॉजी मानक खाद्य सुरक्षा मानदंड से संबन्धित तालिका -5 ख के नीचे,-

(क) मौजूदा शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात,-

"$ कुक्कुट माँस के लिए अपेक्षाएँ साल्मोनेला एंटरिका सेरोवार्स टाइफी, टाइफीमुरियम और एंटरिटिडीस के लिए लागू होंगी";

(ख) शीर्षक 'स्तर जहां माइक्रोबायोलॉजी मानक लागू होंगे' में मौजूदा शब्दों के बाद, निम्नलिखित वाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा,-

"तालिक-5ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) के सूक्ष्म जैविकीय मानक बैच/लॉट की स्वीकार्यता परिभाषित करते हैं यह मानक उत्पादों के विनिर्माण प्रक्रिया के अंत में और बाजार में उनके शेल्फ लाइफ के दौरान लागू होंगे।";

(ग) शीर्षक "असंतोषजनक परिणाम के मामले में कार्यवाही" में से वाक्य "तालिक-5 ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) में माइक्रोबॉयोलॉजिकल मानक बैच/लॉट की स्वीकार्यता परिभाषित करती है और बाजार में यह जारी करने के लिए उत्पाद के संबंध में होगा। ये उनके अचल जीवन के दौरान बाजार में उत्पादों और निर्माण प्रक्रिया के अंत में उत्पादों के लिए लागू होगा।" का लोप किया जाएगा। ;

(घ) शीर्षक "प्रतिदर्शन योजना और दिशा-निर्देश" के अंतर्गत उप-शीर्षक "नियामक के लिए" में "अंतिम निर्णय इस आधार पर होना चाहिए कि माइक्रोबॉयोलॉजिकल मानदंडों के लिए पुनःपरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा।" शब्दों के स्थान पर "अंतिम निर्णय इस आधार पर होना चाहिए कि माइक्रोबॉयोलॉजिकल मानदंडों के लिए तालिक-5ख (खाद्य सुरक्षा मानदंड) के अलावा पुनःपरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा।" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(ङ) शीर्षक '**संदर्भ परीक्षण पद्धतियां**' में मौजूदा शब्दों के बाद, निम्नलिखित वाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"एफएसएसएआई के खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के तरीके (माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग) मैनुअल में निर्धारित टेस्ट विधियों को प्रोसेस हाइजीन मानदंड और खाद्य सुरक्षा मानदंड के लिए निर्दिष्ट आईएस / आईएसओ विधियों के साथ भी संदर्भित किया जा सकता है।";

(च) शीर्षक '**संदर्भ परीक्षण पद्धतियां**' के नीचे सारणी में पंक्ति में क्रम संख्या 9 में, स्तम्भ 2 में, "*क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस*" शब्दों के स्थान पर "*क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम*"को अंत:स्थापित किया जाएगा।"

पवन अग्रवाल,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन- III /4/ असा. / 421 /18]

टिप्पणी.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं0 फाइल सं0 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यको द्वारा संशोधित किए गए थे; -

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;

(iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

(v) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

(vii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(viii) फा. सं. पी॰15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(ix) फा. सं. पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(x) फा. सं. पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xi) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xii) फा. सं. 1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;

(xiii) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट1 खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य/)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;

(xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ़/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;

(xv) फा. सं. 3-14 एफ़/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफ़एसएसएआई – 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;

(xvi) फा. सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;

(xvii) फा. सं.1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(xviii) एफ सं. /11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2017, तारीख 5 सितंबर, 2016;

(xix) फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;

(xx) फा. सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;

(xxi) एफ सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;

(xxii) फा. सं. मानक/एसपी(जल एवं पेय)/अधि(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016;

(xxiii) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;

(xxiv) एफ. सं. पी./15025/93/2011-पीएफ़ए/एफ़एसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;

(xxv) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफ़एस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;

(xxvi) फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;

(xxvii) फा. सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;

(xxviii) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफ़एसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;

(xxix) फाइल सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;

(xxx) फा. सं. मानक /03/अधिसूचना (एलएस)/एफ़एसएसएआई-2017, तारीख 19 जून, 2017;

(xxxi) एफ. सं. 1/योजक/मानक/14.2.अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई, 2017;

(xxxii) फा. सं. मानक /एफ़&वीपी/अधिसूचना (01)/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 2 अगस्त, 2017;

(xxxiii) फा. सं. 1-94(1)/एफ़एसएसएआई/एसपी(लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;

(xxxiv) फा. सं. मानक /एम&एमपीआईपी(1)/एसपी /एफ़एसएसएआई-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxv) सं. मानक/एसपी (पानी एवं पेय)/ अधि.(1)/एफ़एसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxvi) फा. सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxvii) फा. सं. 2/स्टेंडर्ड्स/सीपीएल एंड सीपी/अधिसूचना/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;

(xxxviii) फा. सं. ए-1(1)/मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्तूबर, 2017;

(xxxix) एफ. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई -2016, तारीख 12 अक्तूबर, 2017;

(xl) एफ. सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/ऍफ़ एस एस ए आई-2016(भाग), तारीख 24 अक्तूबर, 2017;

(xli) फा. सं. ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग I), तारीख 17 नवंबर, 2017;

(xlii) एफ. सं. 1/योजक/मानक/बीआईएस अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016, तारीख 17 नवंबर, 2017;

(xliii) एफ. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई -2016, तारीख 20 फरवरी,2018;

(xliv) फाईल संख्या स्टैंडर्ड/01-एस पी(फोर्टीफाईड और एनरिच्ड फूड)-रेग/एँफ़ एस एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;

(xlv) सं. 1/शिशुपोषण/मानक/ अधिसूचना/भा.खा.सु.माँ.प्रा/2016, तारीख 13 मार्च, 2018;

(xlvi) एफ. सं. 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;

(xlvii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एससीएसएस एंड एच/नोटिफिकेशन (03)/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रेल, 2018;

(xlviii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सीपीएल एंड सीपी/ अधिसूचना/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 4 मई, 2018;

(xlix) फाइल सं. एसटीडीएस/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस लोलीस नोटिफ़िकेशन/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई, 2018;

(l) फा. सं. मानक/एसपी(जल और सुपेय) अधिसूचना (3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 20 जुलाई, 2018;

(li) फा. सं. मानक/सीपीएलऔरसीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;

(lii) फाइल सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य /स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 8 नवंबर, 2018;

(liii) फा. सं. मानक/03/अधिसूचना (सीएफओआई तथा वाईसी)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 16 नवंबर, 2018;

(liv) फा. नं. मानक/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(7)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 नवंबर, 2018;

(lv) फा. सं. मानक/एम एंड एमपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;

(lvi) फाईल संख्या मानक/एफ़&वीपी/नोटिफ़िकेशन(04)/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018 और

(lvii) फाइल सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/नोटिफिकेशंस/2010-एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 26 नवंबर, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2018.

F. No. 1-110/SP (Biological Hazards)/Amendment-1/FSSAI/2018.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. Short title and commencement.—These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives)….. Amendment Regulations, 2018.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in Appendix B,-

(1) below Table 2B related to Microbiological Standards for Milk and Milk products – Food Safety Criteria,-

(a) after the existing texts under the title 'Stage where the Microbiological Standards shall apply', following statement shall be inserted,-

"The Microbiological Standards in Table-2B (Food Safety Criteria) define the acceptability of a batch/lot and shall be met in respect of the product for releasing it in the market. These shall be applicable to the products at the end of the manufacturing process and the products in the market during their shelf- life.";

(b) the statement "The Microbiological Standards in Table-2B (Food Safety Criteria) define the acceptability of a batch/lot and shall be met in respect of the product for releasing it in the market. These shall be applicable to the products at the end of the manufacturing process and the products in the market during their shelf- life." under the title 'Action in case of unsatisfactory result' shall be omitted;

(c) in the sub-title "For Regulator" under the title "Sampling Plans and Guidelines", the texts "The final decision shall be drawn based on results with no provision for retesting for microbiological parameters." shall be substituted by the texts "The final decision shall be drawn based on results with no provision for retesting for microbiological parameters except for Table -2B (Food Safety Criteria).";

(d) after existing texts under the title 'Reference Test Methods', the following statement shall be inserted, namely,-

"Test methods prescribed in FSSAI Manual of Methods of Analysis of Foods (Microbiological Testing) may also be referred along with the IS/ISO methods specified for Process Hygiene Criteria and Food Safety Criteria.".

(2) below Table 4B related to Microbiological Standards for Fruits and Vegetables and their Products – Food Safety Criteria,-

(a) after the existing texts under the title 'Stage where the Microbiological Standards shall apply', following statement shall be inserted,-

"The Microbiological Standards in Table-4B (Food Safety Criteria) define the acceptability of a batch/lot and shall be met in respect of the product for releasing it in the market. These shall be applicable to the products at the end of the manufacturing process and the products in the market during their shelf-life.";

(b) the statement "The Microbiological Standards in Table-4B(Food Safety Criteria) define the acceptability of a batch/lot and shall be met in respect of the products at the end of the manufacturing process and the products in the market during their shelf-life." under the title 'Action in case of unsatisfactory result' shall be omitted;

(c) in the sub-title "For Regulator" under the title "Sampling Plans and Guidelines", the following statement shall be shall be inserted at the end of the paragraph,-

"The final decision shall be drawn based on results with no provision for retesting for microbiological parameters except for Table -4B (Food Safety Criteria).";

(d) after existing texts under the title 'Reference Test Methods', the following statement shall be inserted, namely,-

"Test methods prescribed in FSSAI Manual of Methods of Analysis of Foods (Microbiological Testing) may also be referred along with the IS/ISO methods specified for Process Hygiene Criteria and Food Safety Criteria.".

(3) in Table 5B related to Microbiological Standards for Meat and Meat Products – Food Safety Criteria, in third Column, the word "*Salmonella*" shall be substituted by "*Salmonella*$".

(4) below the Table 5B related to Microbiological Standards for Meat and Meat Products – Food Safety Criteria,-

(a) after existing texts, the following shall be inserted, namely,-

" $ For poultry meat the requirement shall be applicable for *Salmonella enterica* serovars Typhi, Typhimurium and Entritidis";

(b) after the existing texts under the title 'Stage where the Microbiological Standards shall apply', following statement shall be inserted,-

"The Microbiological Standards in Table-5B (Food Safety Criteria) define the acceptability of a batch/lot and shall be met in respect of the product for releasing it in the market. These shall be applicable to the products at the end of the manufacturing process and the products in the market during their shelf- life.";

(c) the statement "The Microbiological Standards in Table-5B (Food Safety Criteria) define the acceptability of a batch/lot and shall be met in respect of the product for releasing it in the market. These shall be applicable to the products at the end of the manufacturing process and the products in the market during their shelf- life." under the title 'Action in case of unsatisfactory result' shall be omitted;

(d) in the sub-title "For Regulator" under the title "Sampling Plans and Guidelines", the texts "The final decision shall be drawn based on results with no provision for retesting for microbiological parameters." shall be substituted by the texts "The final decision shall be drawn based on results with no provision for retesting for microbiological parameters except for Table -5B (Food Safety Criteria).";

(e) after existing texts under the title 'Reference Test Methods', the following statement shall be inserted, namely,-

> "Test methods prescribed in FSSAI Manual of Methods of Analysis of Foods (Microbiological Testing) may also be referred along with the IS/ISO methods specified for Process Hygiene Criteria and Food Safety Criteria.";

(f) in the table below the title 'Reference Test Methods', in the row at serial no. 9, in column 2, the words "*Clostridium perfringens"* shall be substituted with the words "*Clostridium botulinum"*.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.- III/4/Exty./421/18]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers-

i. F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
ii. F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
iii. F.No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
iv. F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
v. F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
vi. F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
vii. F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
viii. F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
ix. F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
x. F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
xi. F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
xii. F.No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
xiii. No. 3-16/Specified Foods/Notification(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
xiv. F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
xv. No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
xvi. F.No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
xvii. F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
xviii. F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
xix. F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
xx. F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
xxi. F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
xxii. F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
xxiii. F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
xxiv. F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
xxv. F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
xxvi. F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
xxvii. F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
xxviii. F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
xxix. F.No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
xxx. F.No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
xxxi. F.No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;

xxxii. F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;
xxxiii. F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
xxxiv. F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;
xxxv. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;
xxxvi. F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September, 2017;
xxxvii. File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
xxxviii. F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
xxxix. F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;
xl. F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;
xli. F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;
xlii. F.No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;
xliii. F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February , 2018;
xliv. F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;
xlv. F.No. 1/Infant Nutrition/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated 13th March, 2018;
xlvi. F.No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;
xlvii. File No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;
xlviii. No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;
xlix. F.No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, Dated 20th July,2018;
l. F.No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, Dated 20th July,2018;
li. Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, Dated 31st July, 2018;
lii. File No. 1/Additional Additives/Stds/Notification/FSSAI/2016, Dated 8th November, 2018;
liii. F.No. Stds/03/Notification (CFOI&YC)/FSSAI-2017, Dated 16th November, 2018;
liv. File No. Stds/O&F/Notification (7)/FSSAI-2017, Dated 19th November, 2018;
lv. F.No. Stds/M&MP/Notification (02)/FSSAI-2016, Dated 19th November, 2018;
lvi. F.No. Stds/F&VP/Notifications (04)/FSSAI-2016, Dated 19th November, 2018; and
lvii. File No. 1-116/Scientific Committee (Noti.)/2010-FSSAI, Dated 26th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.27 14:08:12 +05'30'